शोध निदेशालय
कोटा विश्वविद्यालय,कोटा
एम.बी.एस.रोड़ कोटा–324005
फोन नं. 0744–2471037

आज़ादी का अमृत महोत्सव

DIRECTORATE OF RESEARCH
UNIVERSITY OF KOTA, KOTA
MBS Road kota-324005
Phone No.: 0744-2471037
E-mail : research@uok.ac.in

क्रमांक : एफ 6 ( )शोध / को.वि.को / 2023 / **दिनांकः– / /2023**

परिपत्र

शोध मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 10 अप्रैल 2023 की मद सं. 8 के निर्णय b के अनुसार UGC द्वारा दिनांक 07 नवम्बर 2022 को जारी University Grants Commission (Minimum standards and procedures for Award of Ph.D. Degree) Regulations 2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत शोधार्थियों के हित में शोध कार्य हेतु अतिरिक्त समयावधि लागू की जाती है। इसके लिए शोधार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये अवधि विस्तार हेतु आवेदन किया जा सकता है। शोधार्थी को विस्तारित अवधि हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। पीएच. डी. कार्यक्रम की अवधि निम्नानुसार होगी–

1. पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।
2. कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नियमानुसार अतिरिक्त अवधि की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जायेगा, बशर्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

   बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को उनके आवेदन पर दो (2) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकेगी, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
3. समस्त शोध केन्द्रों पर महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश / शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

दिनांक 07 नवम्बर 2022 या उसके पश्चात् अपनी अधिकतम अवधि (पूर्व में निर्धारित नियमानुसार पुरुष शोधार्थियों हेतु सात वर्ष तथा महिला व दिव्यांग शोधार्थियों हेतु आठ वर्ष) पूर्ण करने वाले पूर्व पंजीकृत शोधार्थियों को भी उक्त विस्तारित अवधि हेतु आवेदन करने पर पुनः पंजीकरण के माध्यम से लाभ देय होगा। अतः जिन्हें शोध ग्रंथ जमा कराना हो वे शोधार्थी इस परिपत्र के जारी होने के बाद शोध पर्यवेक्षक की अनुशंसा के साथ विस्तारित अवधि हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

—sd
(प्रो. रीना दाधीच)
निदेशक (शोध)

क्रमांक : एफ 6 ( )शोध / को.वि.को / 2023 / 440-44 **दिनांकः–** 24 /06 **/ 2023**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति को.वि. कोटा को माननीय कुलपति महोदया के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय कोटा।
3. प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / संस्था प्रधान, समस्त शोध केन्द्र, कोटा विश्वविद्यालय कोटा को भेजकर निवेदन है कि सभी संबंधितों को सूचित करने का श्रम करावें।
4. वेबमास्टर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा को भेजकर निवेदन है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का श्रम करावें।
5. निजी सचिव, कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय कोटा।

(डॉ. विपुल शर्मा)
उपकुलसचिव (शोध)